।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत मॉचडी

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 251ए / 10 तारीख रज्जू 06.07.2021

01– सायरा पत्नी फजरू खॉ जाति मेव निवासी ग्राम मॉचडी तहसील व जिला अलवर –वादनी

बनाम

01– आसीन पुत्र सरदारा

02– ईसब पुत्र सरदारा

03– टुण्डल पुत्र सरदारा

04– तारा पुत्र सरदारा

05– धनपत पुत्र सरदारा

06– बशीर पुत्र सरदारा

07– सुगन पुत्र सरदारा

08– समसू पुत्र गट्टया

09– आस मौहम्मद पुत्र हुरमत

10– लियाकात पुत्र हुरमत जाति मेव निवायिसान ग्राम मॉचडी तहसील व जिला अलवर

11– तहसीलदार अलवर –प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक: 13.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादनी आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मॉचडी में 15/31 हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार है। वादनी के खेत के पडोस में आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 1.13 है० व खसरा नम्बर 145 रकबा 0.70 है० वाके ग्राम मॉचडी में स्थित है। वादनी आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.62 है० में से 15/31 हिस्से की खातेदार है। फसल बोती काटती चली आ रही है व उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादनी अपने खेत में जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 1.13 है० व खसरा नम्बर 145 रकबा 0.70 है० में होकर हमेशा से आती जाती रही है। प्रतिवादीगण परिवार के सदस्य है। वादनी को अपने खेत खसरा नम्बर 146 में आने जाने का कोई रास्ता नही है। वादनी ने अपने खेत में आने जाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम अपने खेत की मालिक को हम अपने खेत के मालिक है। वादनी व उसके लडके ने सभी प्रतिवादीगण से प्रार्थना की कि हम खसरा नम्बर 146 के रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार है। आप लोग खसरा नम्बर 145 में से रास्ता दे दे, हमे आने जाने मे बहुत परेशानी होती है। न्याय संगत कीमत व राशि हो उसे हम देने को तैयार है। प्रतिवादीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है। वादनी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि आज के बाद तुमको हमारे खेतों में से आने जाने नही देंगे। दिनांक 27.06.2021 को वादनी व उसके परिवार ने विनम्र तरीके से प्रतिवादीगण से प्रार्थना की कि हमारे खेत बंजड हो जायेंगे। फसल बोने काटने में परेशानी हो रही है। प्रतिवादीगण ने वादनी को खसरा नम्बर 144 व 145 में से रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। दिनांक 17.06.2021 व 27.06.2021 को वादनी ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 146 में जाने के लिए प्रतिवादीगण से रास्ता मांगा लेकिन प्रतिवादीगण ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया। वादनी ने आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.62 है० में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 144 व 145 में से रास्ता दिये जाने की मांग की, प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किये जाने पर यह वाद प्रस्तुत कर रास्ता दिलाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

जिसमें प्रतिवादीगण ने रास्ता देने के लिए सहमति अंकित की है। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7, 8, 9 व 10 की ओर से श्री जर्नादन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार अलवर ने दिनांक 06.09.2021 को रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 146 के तर्फ दक्षिण में खसरा नम्बर 144 स्थित है जिसके लगता हुआ तर्फ दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.31 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित है। वादनी की खातेदारी भूमि पर पहुँच मार्ग उक्त रास्ते एवं अन्य किसी रास्ते से नही है ना ही मौके पर कोई रास्ता स्थित है। वादनी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.62 है० में से 15/31 तक चाहे गये अनुतोष के अनुसार खसरा नम्ब्र 144 व 145 में से प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट राजस्व नक्शे के साथ प्रेषित की है। पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत मॉचडी में पेश हुई।

वकील व वादनी उपस्थित। वादनी ने बैयनामे की फोटोप्रति पेश की। शामिल पत्रावली की।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन करते हुए वाद 251ए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद 251ए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 146 के तर्फ दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 144 के लगता हुआ तर्फ दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.31 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित है जिस रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 144 के मध्य से खसरा नम्बर 145 में होते हुए रास्ता कायम किये जाने के तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते हैश नक्शा व जमाबन्दी में अमल दरामद करे। अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत मॉचडी में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप (कैम्प प्रभारी) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)